न्यायालय अपर कलक्टर, अजमेर

राजस्व प्रकरण संख्या 02/2024

राज्य सरकार जरिये तहसीलदार पीसांगन जिला अजमेर

.......*प्रार्थी*

बनाम

भागचन्द पुत्र अमरा जाति बावरी निवासी ग्राम सेठन तहसील पीसांगन जिला अजमेर

......रेस्पोन्डेन्टस

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम, 1970 विरूद्ध आवंटन आदेश क्रमांक 83 दिनांक 11.11.1975 द्वारा श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय, अजमेर।

उपस्थित :—राजकीय अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से।
श्री उमेश कुमार, श्री लक्ष्मण कंवटिया अप्रार्थी की ओर से।

—: आदेश :—

दिनांक — 17.07.2025

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि यह प्रार्थनापत्र, उपखण्ड अधिकारी अजमेर द्वारा पारित आदेश क्रमांक 83 दिनांक 11.11.1975के विरूद्ध इस न्यायालय में प्राप्त हुआ है।

उपखण्ड अधिकारी अजमेर के आदेश दिनांक 11.11.1975 के द्वारा कैम्प रामपुरा डाबला में ग्राम सेठन के खसरा नम्बर 303 मिन (आवंटन आदेश अनुसार खसरा नम्बर 222) रकबा 36—14—00 बीघा किस्म बीड़ में से 05—00—00 बीघा भूमि, श्री चौथा पुत्र श्री मगना जाति रैगर (भांबी) को कृषि प्रयोजनार्थ आवंटित की गयी।श्री चाआवंटन आदेश दिनांक 11.11.1975 की पालना में नामा0 संख्या 18 दिनांक 18.07.1998 के द्वारा उक्त आवंटित की गयी भूमि, राजस्व रिकॉर्ड में मूला पुत्र मंगला के नाम गैर खातेदार दर्ज की गयी।नवीनतम राजस्व रिकॉर्ड ग्राम सेठन की जमाबन्दी संवत 2072—75 (वर्ष 2019 से स्थायी) में उक्त आवंटित भूमि खाता संख्या 519 में खसरा नम्बर 470/1791 रकबा 0.8100है0 किस्म बा—2 मूला पुत्र मंगला हिस्सा पूर्ण जाति बावरी सा. गैर खातेदार के नाम दर्ज है। मूल आवंटी श्री मूला पुत्र श्री मंगला की मृत्यु हो चुकी है तथा वे अप्रार्थी श्री भागचन्द के दादा थे। उक्त आवंटित भूमि पर कभी भी काश्त नहीं किये जाने, गैर खातेदारान/वारिसान का कब्जा काश्त नहीं होने तथा आवंटित भूमि मौके पर रिक्त होने के कारण आवटन आदेश की शर्तों की पालना नहीं होने के आधार पर तहसीलदार पीसांगन ने भूमि के

न्यायालय अपर जिला कलक्टर अजमेर

अपर कलक्टर
अजमेर

गैर खातेदारी अधिकारी निरस्त कर राजस्व रिकॉर्ड में सिवायचक दर्ज कर कब्जा राज लेने का निवेदन किया है।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर अप्रार्थी के नाम नोटिस जारी किये गये। वकील अप्रार्थी की ओर से दिनांक 18.10.2024 को वकालतनामा प्रस्तुत किये गये। वकील अप्रार्थी को प्रत्युत्तर प्रस्तुत करने/दिये जाने के कई अवसर दिये जाने के उपरान्त वकील अप्रार्थी द्वारा दिनांक 19.06.2025 को लिखित प्रत्युत्तर प्रस्तुत किया गया।

बहस हेतु निश्चित दिन उभयपक्ष की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में उठाये गये बिन्दुओं की पुष्टि करते हुए व्यक्त किया कि अप्रार्थी श्री भागचन्द के दादा स्व. श्री मूला पुत्र श्री श्री मंगला जाति बावरी निवासी ग्राम सेठन के पक्ष में तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी अजमेर द्वारा कैम्प रामपुरा डाबला में ग्राम सेठन के खसरा नम्बर 303मिन रकबा 36—14—00बीघा में से 05—00—00 बीघा भूमि, नियम 1970 के प्रावधानों के तहत कृषि प्रयोजनार्थ आवंटित की गयी थी तथा नामा. संख्या 18 दिनांक 18.07.1998 के द्वारा उक्त आवंटित भूमि श्री मूला के पक्ष में गैर खातेदारी दर्ज की गयी। मूल आवंटी की मृत्यु हो चुकी है तथा अप्रार्थी उनका पौत्र है। पटवारी हल्का सेठन के मौका पर्चा दिनांक 26.03.2024 के अनुसार उक्त आवंटित भूमि मौके पर रिक्त पड़ी हुई है, उक्त आवंटित भूमि पर कभी भी काश्त नहीं की गयी है तथा मौके पर कभी भी आवंटी या उसके वारिसानों का कब्जा काश्त नहीं रहा है तथा उक्त आवंटित भूमि, वर्तमान में ग्रामवासियों की पशु चराई हेतु प्रयुक्त की जा रही है। अतः आवंटन आदेश की पालना नहीं होने के कारण आवंटी के गैर खातेदारी अधिकार निरस्त कर, आवंटित भूमि को राजस्व रिकॉर्ड में सिवायचक दर्ज किया जाना उचित होगा।

वकील अप्रार्थी ने लिखित प्रत्युत्तर प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा पटवारी की मौका रिपोर्ट दिनांक 26.03.2024 के आधार पर नियम 1970 की नियम 14(4) के तहत आवंटन निरस्त करने हेतु उक्त प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया जो कि स्वीकार योग्य नहीं है।उक्त मौका रिपोर्ट अप्रार्थी की अनुपस्थिति में तैयार की गयी है। उक्त आवंटनशुदा भूमि पर पूर्व में मूल आवटी तथा उनकी मृत्यु के पश्चात अप्रार्थी के पिता श्री अमरा तथा तत्पश्चात अप्रार्थी काबिज होकर निरन्तर काश्त कर रहा है। अप्रार्थी उक्त आवंटित भूमि पर मात्र वर्षा के जल से ही फसल काश्त की जाती है। पटवारी हल्का द्वारा माह मार्च में मौका रिपोर्ट तैयार की गयी है तथा वर्षा के आधार पर बोई फसल इस माह में खेत में नहीं रहती है, अतः यह कथन उचित नहीं है कि अप्रार्थी द्वारा पहले कभी भी काश्त नहीं की गयी है। वकील अप्रार्थी ने यह भी निवेदन किया कि नियम 1970 के प्रावधानों के तहत 03 तक गैर खातेदार रहने के पश्चात तहसीलदार द्वारा स्वतः ही खातेदारी का नामान्तरकरण खोला जाता है परन्तु प्रार्थी तहसीलदार द्वारा उक्त प्रावधान की पालना नहीं की गयी है एवं मूल आवंटी श्री मूला को प्रश्नगत भूमि का आवंटन लगभग 05 दशक पूर्व किया गया है, अतः आवंटन के इतने समय पश्चात आवंटन निरस्त न्यायोचित नहीं है।

हमने उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत बहस पर ध्यानपूर्वक मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि आवंटन सलाहकार समिति की बैठक दिनांक 11.11.1975 के अनुसार उपखण्ड अधिकारी अजमेर ने ग्राम सेठन के खसरा नम्बर 303मिन रकबा 36—14—00 बीघा किस्म में से

न्यायालय अपर जिला कलक्टर अजमेर सत्यमेव जयते

अपर कलक्टर अजमेर

05—00—00 बीघा भूमि का आवंटन किया गया था तथा नामान्तरकरण संख्या 18 दिनांक 18.07.1998 के द्वारा राजस्व रिकॉर्ड में मूल आवंटी श्री मूला पुत्र श्री मंगला को गैर खातेदार दर्ज किया गया। अप्रार्थी द्वारा उक्त आवंटनशुदा भूमि पर निरन्तर कब्जा होने का कथन करते हुए वर्षा जल से काश्त किया जाना बताया है परन्तु प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत की गयी संवत 2053 से संवत 2072 तक की खसरा गिरदावरी के अनुसार उक्त भूमि पर कभी भी काश्त नहीं की गयी है। यदि आवंटी अथवा उसके वारिसान द्वारा वर्षा जल से भी काश्त की जाती, तो हल्का पटवारी द्वारा खसरा गिरदावरी के ''असिंचित'' कॉलम में इसका अंकन किया जाता परन्तु संवत 2053 से 2072 तक की प्रत्येक गिरदावरी में ऐसा कोई अंकन नहीं होना पाया गया है। स्पष्ट है कि आवटी तथा उसके वारिसान द्वारा आवंटनशुदा भूमि पर कभी भी काश्त नहीं की गयी है। अप्रार्थी ने अपने समर्थन में कब्जे सम्बन्धी कोई दस्तावेज/साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये गये है।

उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रश्नगत भूमि, मूल आवंटी श्री मूला को राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के प्रावधानों के तहत कृषि हेतु आवंटित की गयी थी परन्तु रिकॉर्ड से यह स्पष्ट है कि आवंटी या उसके वारिसान द्वारा उक्त आवंटनशुदा भूमि पर कभी भी काश्त नहीं की गयी जो कि आवंटन आदेश की शर्तों का स्पष्ट उल्लंघन है।

अतः प्रार्थी तहसीलदार पीसांगन द्वारा विचाराधीन प्रार्थनापत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 को स्वीकार किया जाकर उपखण्ड अधिकारी अजमेर के आदेश दिनांक 11.11.1975 से ग्राम सेठन तहसील पीसांगन के खसरा नम्बर 303मिन रकबा 36—14—00 बीघा में से मूल आवंटी श्री मूला पुत्र मंगला के पक्ष में किया गया आवंटन 05—00—00 बीघा हाल खसरा नम्बर 470/1791 रकबा 0.8100है0 किस्म बा—2 को निरस्त किया जाता है। तहसीलदार पीसांगन को आदेश दिये जाते है कि तत्काल प्रभाव से ग्राम सेठन तहसील पीसांगन के खसरा नम्बर 470/1791 रकबा 0.8100है0 का कब्जा प्राप्त करे तथा उक्त खसरा नम्बर को राजस्व रिकॉर्ड में सिवायचक दर्ज करे।

आदेश आज दिनांक 17.07.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया। आदेश की एक प्रति तहसीलदार पीसांगन को प्रेषित की जावे।

(ज्योति ककवानी)

(ज्योति ककवानी)
अपर कलक्टर अजमेर

न्यायालय अपर जिला कलक्टर
सत्यमेव जयते
* अजमेर *